

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक /105/ अ.जि.द. / 2020

रायपुर, दिनांक २५/०७/२०२०

भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोनावायरस (COVID-19) की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु समय-समय पर जारी निर्देशानुसार किसी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाये जाने पर कन्टेनमेंट जोन बनाने हेतु इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रशारित किये जाते हैं। कन्टेनमेंट जोन की बैरिकेटिंग हेतु बॉस-बल्ली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल रायपुर को आदेशित किया गया है। बैरिकेटिंग का कार्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के माध्यम से कराया जा रहा है।

कन्टेनमेंट जोन के बैरिकेटिंग के प्रयोजन हेतु कॉलम नं. (2) में दर्शित जोन के लिए तत्परतापूर्वक से कार्य संपादन के लिए कॉलम नं. (03) में दर्शित अधिकारियों को सौंपा जाता है :—

क्र.	क्षेत्र / जोन (नगर निगम रायपुर)	प्रभारी अधिकारी का नाम व पदनाम
1	जोन क्रमांक 1, 4	श्री विशाल त्रिवेदी, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 02, रायपुर 9424200899
2	जोन क्रमांक 2	श्री ए के भट्टाचार्य, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर 9425256188
3	जोन क्रमांक 3	श्री राजीव नशीने, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 01, रायपुर 9425503818
4	जोन क्रमांक 5, 6	श्री डी एन वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 02, रायपुर 9977560060
5	जोन क्रमांक 7	श्री अभिनव श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर 9424120983
6	जोन क्रमांक 8	श्री एस. एस चहल, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर 9993977066
7	जोन क्रमांक 9	श्री प्रभात सक्सेना, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 02, रायपुर 9406049000
8	जोन क्रमांक 10	श्री सी. एस. चंद्राकर, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 01, रायपुर 9425204299
9	नगर पालिक निगम बीरगांव	श्री एस. एस. चहल, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर 9993977066
10	उपरोक्त क्षेत्र को छोड़कर तहसील रायपुर का शेष क्षेत्र	श्री अभिनव श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर 9424120983
11	तहसील क्षेत्र तिल्दा	श्री अनुज शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर 9424200462
12	तहसील क्षेत्र आरंग	1. श्री सी. एस. चंद्राकर, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 01, रायपुर 9425204299 2. श्री प्रभात सक्सेना, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 02, रायपुर 9406049000
13	तहसील क्षेत्र अभनपुर	श्री आर.एस.चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 03, अभनपुर 9893579666

उपरोक्तानुसार व्यवस्था दिनांक 25.07.2020 से प्रभावशील होगी। कमांक 10, 11, 12 एवं 13 हेतु निर्दिष्ट अधिकारी उन्हे सौंपे गये क्षेत्र हेतु नोडल अधिकारी रहेगे। यदि कन्टेनमेंट जोन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है तो वे संबंधित अधिकारी, तहसीलदार एवं इन्सिडेंट कमांडर को तत्काल सूचित करेगें। कमांक 01 से 09 तक दर्शित अधिकारी कन्टेनमेंट जोन की बैरिकेडिंग कार्य के लिए उन्हे सौंपे गये क्षेत्र हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। संबंधित अधिकारी उन्हे सौंपे गये दायित्व के निर्वहन हेतु आवश्यक तैयारी तथा दिनांक 24.07.2020 तक घोषित कन्टेनमेंट जोन की बैरिकेडिंग संबंधित आदेशानुसार आज ही पूर्ण कर ली जावें।

पृ. क्रमांक /1050/ अ.जि.द. / 2020
प्रतिलिपि :-

कलेक्टर
जिला-रायपुर
रायपुर, दिनांक 25/07/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को सूचनार्थ।
4. संचालक, संचालनालय स्वा. सेवायें, इद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5. मिशन संचालक (NHM), सेक्टर 27, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज को सूचनार्थ।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर एवं बीरगांव, जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त इन्सिडेंट कमांडर, नगर पालिक निगम, रायपुर एवं बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर संभाग 01, 02, 03 एवं विधानसभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर संभाग 01, 02, 03 एवं विधानसभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर संभाग 01, 02, 03 एवं विधानसभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. तहसीलदार, समस्त जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. समस्त जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. सर्व संबंधित अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
19. कार्यालयीन प्रति।

कलेक्टर
जिला-रायपुर